

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न० 72/18

तारीखरजू:- 16.11.18

उनवान:- श्योसिंह बनाम राजराम वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

| दिनांक   | फर्द अहकाम   |
|----------|--|
| 16/11/18 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 02.01.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख० न० 60 रकवा 0.60, एवं ख० न० 279 रकवा 0.02 है०, किस्म गै० मु० रास्ता ग्राम जयसिंहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की उक्त गै० मु० रास्ते में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के आदेश दिए जाते हैं।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार टोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 02.01.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलक्टर<br/>टोडाभीम जिला करौली</p> <p>2.1.19 प्रार्थी वकील उप०/ अप्रार्थीगण की ओर से श्री लखनलाल शर्मा Adv. ने श्री श्योसिंह शर्मा / शा० रट / वकालतनामा पेश बलि सत्रप-पाटा / P.O. सा० अकवाशपाट्टे) आईन्दा दि० 24-1-19 को पेश हो।</p> |

5310-17  
17-11-18

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

| दिनांक   | फर्द अहकाम   |  |
|----------|--|--|
| 1-11-18  | <p>वकुलाय स्मरिधत/पीठासन अधिकारी<br/>                     बाहर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार<br/>                     दिनांक 21-11-18 को पेश हो।</p>   |  |
| 21-11-18 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभययस उपस्थित। प्रार्थी<br/>                     वकील ने Not Press कर यह प्रार्थना पत्र अलार्ड निवेदन<br/>                     खारिज करने का कथन किया। अतः यह प्रकरण Not-<br/>                     Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल<br/>                     शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के<br/>                     साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;">उपजिला कलक्टर<br/>                     टोडाभीम (करौली)</p> | <p>Not Press<br/>                     21-11-18</p> |

